न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा:- [illegible] 223/[illegible] मिसल नं. 2022/293 / सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत हाकिम	अहकाम की तामील हुक्म की तारीख में जारी हुए
9/10/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक [illegible] उपस्थित रहे। प्रत्यर्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित रहे। प्रत्यर्थी संख्या 2 श्री [illegible] के उपस्थित रह अभिभाषक के [illegible] में [illegible] पर [illegible] किये हुए कहा [illegible] का निवेदन किया। अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 1 व अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत मुख्य बिन्दुओं पर उपलब्ध [illegible] के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 2 श्री [illegible] वर्मा ने अपनी बहस में कहा [illegible] पत्र [illegible] रिपोर्ट के आधार पर [illegible] बाबत [illegible] पत्रों में [illegible] की [illegible] निवेदन किया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 2 [illegible] की जाने नहीं [illegible] जाता है उक्त रिपोर्ट के आधार पर [illegible] जाता है। अपीलार्थी की आयु 90 वर्ष है तथा अपीलार्थी का स्वास्थ्य [illegible] खराब होने के कारण अपीलार्थी शीघ्र ही पत्रावली का निर्णय के आधार पर निस्तारण करवाना चाहता है। इस कारण पत्रावली [illegible] रिपोर्ट की कार्यवाही [illegible] आवश्यक है। [illegible] तरह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में श्री मुख्तारआम श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] निवासी [illegible] का मुख्तारनामा दिनांक 10.10.2022 को [illegible] पेश किया गया है	[illegible]

[illegible]

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

फर्द अहकाम

....बनाम.......................................

किस्म मुकदमा:- मिसल न0 / सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	अहकाम जो किस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	तथा निरस्तीकरण की नोटरी पब्लिक श्री अमीरुद्दीन अकरम के कार्यालय में क्रमांक 1508 दिनांक 11/09/2023 को करवाई जा चुकी है तथा मुख्तारआम श्री अंकित बैराग को निरस्तीकरण की सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 12/09/23 को भिजवाई जा चुकी है तथा उक्त निरस्तीकरण के माध्यम से प्रार्थी ने मुख्तारआम श्री अंकित बैराग को मुख्तारनामा दिनांक 10/10/2022 के द्वारा प्रदान किये गये अधिकार वापस ले लिये है। प्रार्थी स्वयं के अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर उपरोक्त (उनवानी) अपील को विड्रो के आधार पर खारिज करवाना चाहता है तथा उक्त अपील को आगे नहीं चलाना चाहता है। माननीय न्यायालय को सी.पी.सी. की धारा 151 के तहत समस्त अन्तर्निहित शक्तियां प्राप्त हैं, अतः वह अपीलार्थी संख्या 2 को शीघ्र अनुतोष प्रदान किया जावे। अन्त में हस्तगत अपील इसी स्तर पर विड्रो के आधार पर खारिज किये जाने का निवेदन किया। साथ ही विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी संख्या 2 ने अपनी बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी अंकित बैराग की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के चरण क्र 2 में अंकित कथन असत्य तथा काल्पनिक हैं। हस्तगत अपील में अपीलार्थी संरक्षक पद से रिजाइन नहीं होना	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

फर्द अहकाम

....बनाम..

किस्म मुकदमा:- मिसल न0 / सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	अहकाम जो किस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	अन्य तथा अपीलार्थी ने न्यायालय के समक्ष संरक्षक पद से निवृत्त होने की कामना भी नहीं की है तथा अपीलार्थी द्वारा मंदिर मूर्ति की सम्पत्ति का लेशमात्र भी नुकसान नहीं किया है तथा ना ही कोई रकम प्राप्त की है तथा प्रार्थी कैलाश वैष्णव का उक्त मंदिर से किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है। इस कारण प्रार्थी को संरक्षक नियुक्त होने का अधिकार नहीं है। स्वर्गीय श्री हनुमान जी द्वारा दिनांक 01-06-1973 को एक पंजीकृत वसीयत अपनी पुत्रवधू श्रीमती मानकंवर के पक्ष में तहरीर की थी जिसमें हनुमानदास जी ने अपने पुत्र मोहनलाल को उनकी जायदाद व कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया है। इस कारण मोहनलाल के पुत्र अथवा पौत्र एवं अन्य कोई भी उत्तराधिकारी को उपरोक्त मंदिर अथवा कृषि भूमि बाबत कोई अधिकार अथवा हित प्राप्त नहीं है। मोहनलाल जी अपने जीवनकाल में ही उक्त मंदिर एवं कृषि भूमि से पृथक हो चुका है। इस कारण प्रार्थी को संरक्षक नियुक्त किये जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र विधि विरुद्ध एवं न्यायिक क्षेत्राधिकार से परे जाकर प्रस्तुत किया। प्रार्थी हस्तगत अपील में मात्र अपीलार्थी का मुख्तारआम है, इससे प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है तथा अपीलार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 11/9/23 को उक्त मुख्तारआम निरस्त कर प्रार्थी को	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

फर्द अहकाम

..........बनाम..........

मिसल न0 / सन्

किस्म मुकदमा:-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	अहकाम जो किस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	मुख्तार पत्र से हटा दिया गया है तथा माननीय न्यायालय में स्वयं उपस्थित हो चुका है। इस प्रकार उपरोक्त अपील में प्रार्थी कौशिक वैष्णव का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। इसलिए ही सम्पत्ति के संबंध में वादार्थ संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है। वादार्थ संरक्षक नियुक्त करने की सिविल प्रक्रिया संहिता में विधि निर्धारित की हुई है तथा प्रार्थी ने उक्त विधि के विरुद्ध जाकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट रमेशचन्द वैष्णव द्वारा उक्त अपील को निर्णीत किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। मूर्ति मंदिर की ओर से व उनके हितार्थ राजस्थान सरकार द्वारा पूर्व से ही माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की हुई है किन्तु फिर भी उक्त सभी तथ्यों की जानकारी होते हुए भी प्रार्थी कौशिक वैष्णव द्वारा अपीलांट को परेशान करने व इन्हीं से जेरबार करने व उन्हें विविध कार्यवाहियों में उलझाकर स्वयं वांछनीय रूप से ब्लैकमेल करने के दुराशय से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। जबकि प्रार्थी कौशिक वैष्णव के हित मूर्ति मंदिर के हितों के पूर्णतया विपरीत है। मूर्ति मंदिर के हितों के लिए राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार संरक्षक है और पूर्व से ही राजस्थान सरकार द्वारा मूर्ति मंदिर के लिए समान भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरुद्ध माननीय न्यायालय में अपील पेश की हुई है जिसके कारण प्रस्तुत अपील में प्रार्थी	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

फर्द अहकाम

......................................बनाम......................................

किस्म मुकदमा:-

मिसल न0 / सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	अहकाम जो किस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	को मूर्ति मंदिर का संरक्षक नियुक्त होकर हस्तगत अपील को आगे चलाने का कोई भी विधिवत अधिकार प्राप्त नहीं है न ही प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रार्थी मूर्ति मंदिर में आस्था रखने मात्र के आधार पर संरक्षक नियुक्त होना चाहता है जो विधिक एवं व्यवहारिक दृष्टि से अवैध होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भारी हर्जे खर्चे पर खारिज किया जाना आवश्यक है। अन्त में प्रार्थी अनिल वैष्णव की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अपीलांट संस्था। श्री राजेन्द्र प्रसाद माथुर ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र बाबत नियुक्त किये जाने संरक्षक मूर्ति मंदिर अन्तर्गत आदेश 32 एवं धारा 151 सी.पी.सी. में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हस्तगत अपील मूर्ति मंदिर चतुर्भुज नाथ जी विराजमान कोटड़ी कोटा बाबा. की ओर से प्रस्तुत की गई है, जिसके संरक्षक रमेशचन्द आत्मज हनुमान दास, उम्र के आधार पर संरक्षक पद से रिटायर होना चाहते हैं तथा उन्होंने उक्त मंदिर की सम्पत्तियाँ खुर्द-बुर्द करने के उद्देश्य से प्रभावशाली व्यक्तियों से मिलकर अवैध बेचान में सहयोग कर बहुत बड़ी रकम प्राप्त कर ली है। इसलिए प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया है कि वह मंदिर की सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु रमेशचन्द पुत्र हनुमान दास के स्थान ~~पर~~ उक्त मूर्ति मंदिर नाबालिग का संरक्षक बन सके। प्रार्थी उक्त मूर्ति मंदिर के पूर्व संरक्षक	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

फर्द अहकाम

....बनाम...

मिसल न0 / सन्

किस्म मुकदमाः-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	अहकाम जो किस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	हनुमानदास पुत्र ओंकारदास, जो रमेशचन्द के पिता थे, उनके समान प्रार्थी के दादा भी हनुमानदास जी के पुत्र मोहन दास जी थे और मोहन दास जी का पौत्र प्रार्थी है और मंदिर की सम्पत्तियों की सुरक्षा में आस्था रखता है। प्रार्थी हित बद्ध व्यथित होने से नाबालिग मूर्ति का संरक्षक बनना चाहता है और अपील को कन्टेस्ट करना चाहता है। अन्त में प्रार्थी को मूर्ति मंदिर चतुर्भुज नाथ जी महा. का संरक्षक बनाकर अपील कन्टेस्ट करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया। साथ ही विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में अपने जवाब प्रारम्भिक पत्रों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि संरक्षक रमेश चन्द उक्त अपील से निरापद होना चाहता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी नैतिक वैधानिक महा. मूर्ति मंदिर की सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु हितबद्ध व्यथित है और उसकी आस्था मूर्ति मंदिर के प्रति है ऐसी स्थिति में नैतिक वैधानिक उक्त मूर्ति मंदिर का संरक्षक बनने का विधिक अधिकारी है, और उक्त अपील को कानूनन किसी प्रकार से विड्रो नहीं किया जा सकता है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि रमेशचन्द पुत्र हनुमानदास बैरागी ने उक्त प्रार्थना पत्र निजी हैसियत से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जो कानूनन किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है और स्वयं निरस्त किये जाने योग्य है। मूर्ति मंदिर श्री चतुर्भुज नाथ जी महाराज विराजमान कोटड़ी गोरधनपुरा कोटा एवं पदेन [illegible]	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

फर्द अहकाम

....बनाम..

किस्म मुकदमा:- मिसल न0 / सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	अहकाम जो किस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	माईनर है. जिसके संरक्षक रमेशचन्द पुत्र हनुमान दास वैष्णव थे, जिन्होंने एक मुख्तार नामा दिनांक 10/10/2022 को प्रार्थी अनिल वैष्णव पुत्र सुदर्शन वैष्णव के पक्ष में आलेखित किया था और इसी आधार पर मंदिर मूर्ति की ओर से एक अपील 1-22 ऑफ राजस्थान, रमेशचन्द पुत्र द्वारकादास व श्याम सुन्दर शर्मा के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी, जिसमें प्रार्थी अनिल वैष्णव द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही थी। रमेशचन्द आत्मज हनुमानदास ने कुछ लोगों से मिलकर मंदिर की कृषि आराजी को बेचने के बाबत अवैध रूप से उक्त अपील को विड्रो करने बाबत अवैध राजीनामा प्रस्तुत कर दी और मुख्तार नामा अवैध रूप से बिना किसी आधार के निरस्त कर दिया, जिसकी कोई वैधानिक सूचना अनिल वैष्णव को नहीं दी गई। बल्कि एक खाली रजिस्ट्री लिफाफा बिना कोई कागज के अनिल वैष्णव को भिजवा दिया, इस प्रकार अनिल वैष्णव को मुख्तार-नामा निरस्त होने की सूचना माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने पर ही हुई है। चूंकि मूर्ति मंदिर चतुर्भुज नाथ जी परपेचुअल माईनर है, जिसकी अपील को रमेशचन्द आत्मज हनुमानदास द्वारा किसी भी प्रकार से कानूनन विड्रो नहीं किया जा सकता है तथा रमेशचन्द उस अपील को उसके नेक्स्ट फ्रेण्ड की हैसियत से नहीं लड़ना चाहता है, तो प्रार्थी जो कि हनुमानदास वैरागी का पड़पौत्र है, जिसकी मंदिर मूर्ति में आस्था है और वह नाबालिग मंदिर की सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु प्रस्तुत अपील को कन्टेस्ट करना चाहता है क्योंकि	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

फर्द अहकाम

......................................बनाम......................................

किस्म मुकदमा:- मिसल न0 / सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	अहकाम जो किस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	रमेशचन्द्र आत्मज हनुमानदास ने अपने आपको संरक्षक के पद से रिटायर कर लिया है, ऐसी स्थिति में पेश किया गया प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है। यह न्यायालय का भी कर्तव्य है कि वह भी मंदिर की भूमि को संरक्षण प्रदान करते हुए या तो हमें या स्वविवेक से किसी अन्य को संरक्षक बनाकर प्रकरण में सुनवाई करे। सी.पी.सी. का आदेश 32 नियम 9 भी माननीय न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है। अनिल वैष्णव हनुमानदास जी का पड़पौत्र है, जिसका हित मंदिर की सम्पत्तियों की सुरक्षा में निहित है, इसलिए वह उक्त अपील को कन्टेस्ट करना चाहता है। अन्त में प्रार्थी अपीलार्थी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 2 श्री ब्रज-बिहारी गोचर ने अपनी बहस में प्रार्थी अपीलार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का खण्डन किया तथा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हस्तगत अपील रमेशचन्द्र पुत्र हनुमान दास वैष्णव द्वारा प्रस्तुत की गई है। रमेशचन्द्र पुत्र हनुमानदास वैष्णव की वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी अनिल वैष्णव द्वारा मूर्ति मंदिर की आड़ में अवांछित लाभ उठाने के प्रयोजन से हस्तगत अपील में रमेशचन्द्र वैष्णव का मुख्तार आम बनकर माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी रमेशचन्द्र वैष्णव द्वारा प्रार्थी अनिल वैष्णव के पक्ष में निष्पादित मुख्तारनामा आम को निरस्त कर	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

फर्द अहकाम

....बनाम..

किस्म मुकदमा:- मिसल न0 / सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	अहकाम जो किस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	दिया है और माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त अपील को जारी न रखकर उसे विड्रॉ इसी स्तर पर करवाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। हस्तगत अपील रमेशचन्द्र वैष्णव द्वारा पेश की गई है और रमेशचन्द्र वैष्णव हस्तगत अपील को नहीं चलाना चाहता है, इसलिए प्रार्थी को मूर्ति मंदिर की आड़ में उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई भी विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है, किन्तु फिर भी प्रार्थी द्वारा रमेशचन्द्र वैष्णव के मूर्ति मंदिर का संरक्षक होने और उनका संरक्षक पद से रिटायर होना चाहने आदि के कथनों पर यह मिथ्या प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो कानूनन सुनवाईनीय व मेन्टेनेबल नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग का सर्वोत्तम संरक्षक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हो सकता है और राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार द्वारा मूर्ति मंदिर के हितों का आधार लेते हुए उक्त भूमि के सम्बन्ध में विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरुद्ध पूर्व में ही एक अपील प्रस्तुत की हुई है, जिसके कारण प्रार्थी को हस्तगत अपील में मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग का पुनः संरक्षक नियुक्त किये जाने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेनेबल है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 2 पूर्णतया मिथ्या एवं मनगढ़न्त है। अपीलार्थी रमेशचन्द मूर्ति मंदिर का कभी भी संरक्षक नहीं रहा है, जिसके कारण अपीलार्थी रमेशचन्द व हनुमानदास की रिश्तेदारी के आधार पर प्रार्थी मूर्ति मंदिर का प्रबंधक से संरक्षक नियुक्त नहीं	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

फर्द अहकाम

..............................बनाम..............................

मिसल न0 / सन्

किस्म मुकदमा:-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	अहकाम जो किस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	किया जा सकता। प्रार्थी द्वारा आदेश 32 के सन्दर्भ में विहित प्रावधानों की पालना करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है, न ही प्रार्थी द्वारा आदेश 32 के सन्दर्भ विहित औपचारिकताओं को प्रार्थना पत्र में बताया गया है. जिसके कारण भी उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी रमेशचन्द्र वैष्णव द्वारा उक्त अपील को विड्रो किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। मूर्ति मंदिर की ओर से व उनके हितार्थ राजस्थान सरकार द्वारा पूर्व से ही माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की हुई है, किन्तु फिर भी उक्त सभी तथ्यों की जानकारी होते हुए भी प्रार्थी कन्हैया वैष्णव द्वारा अपीलार्थी को परेशान करने व खर्चे से बेजार करने व उन्हें विधिक कार्यवाहियों में उलझाकर रखने अवांछित रूप से ब्लैकमेल करने के प्रयोजन से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है, जबकि प्रार्थी कन्हैया वैष्णव के हित मूर्ति मंदिर के हितों के पूर्णतया विपरीत हैं. मूर्ति मंदिर के हितों के लिए राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सर्वोत्तम संरक्षक है और पूर्व से ही राजस्थान सरकार द्वारा मूर्ति मंदिर के हितों के लिए समान भूमि के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरुद्ध माननीय न्यायालय में अपील पेश की हुई है. जिसके कारण प्रस्तुत अपील में प्रार्थी अपीलार्थी संरक्षक। जो मूर्ति मंदिर का संरक्षक नियुक्त होकर प्रस्तुत अपील को आगे चलाने का कोई भी विधिवत अधिकार प्राप्त नहीं है, न ही प्रार्थी अपीलार्थी संरक्षक	

[signature]

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

फर्द अहकाम

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा:-

मिसल न0 / सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	अहकाम जो किस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	1 अनिल वैष्णव का अपील पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अन्त मे प्रार्थी अपीलांट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत अपील पत्र सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया। हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से प्रस्तुत अपील पत्रों पर की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत अपील मे अपीलांट संख्या 1 रमेशचन्द पुत्र हनुमानदास वैष्णव है जिसने अनिल वैष्णव को मुख्तार आम बनाकर जरिये मुख्तार आम अपील पेश की है। हस्तगत अपील में अपीलांट संख्या 2 स्वयं रमेश चन्द पुत्र हनुमानदास वैष्णव है जिनकी ओर से अपील विरुद्ध अपील पत्र प्रस्तुत हुआ है। अपीलांट संख्या 2 ने अपने विरुद्ध अपील पत्र में स्वयं अंकित किया है कि उनके द्वारा नियुक्त किये गये मुख्तारआम श्री अनिल वैष्णव का मुख्तारनामा दिनांक 10/10/22 को निरस्त करवा दिया गया है। साथ ही अपीलांट संख्या 2 का यह भी कथन है कि उक्त निरस्तीकरण की नोटरी पब्लिक श्री जमीरुद्दीन असलम के कार्यालय मे क्रमांक 1508 दिनांक 11/01/23 को करवाई जाकर सूचना मुख्तार आम अनिल वैष्णव को भिजवाई जा चुकी है। अधिवक्ता अपीलांट संख्या 1 ने माना कि अपीलांट संख्या 2 जिसके मुख्तारआम के आधार पर उसने अपील पेश की थी जिसे अपीलांट संख्या 2 अपील एवं विरुद्ध खारिज करवाना चाहता है जिसके मुख्तार आम अनिल वैष्णव का मुख्तारनामा अपीलांट संख्या 2 द्वारा	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

फर्द अहकाम

....बनाम...

.... / सन्

मिसल न0

किस्म मुकदमा:-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	अहकाम जो किस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	निरस्त करवाये जाने का अपीलांट संख्या 2 का कथन [illegible] सही प्रतीत होता है। चूँकि अपीलांट संख्या 1 द्वारा जरिये मुख्तारआम अपील पेश की गई है। अपीलांट संख्या 1 की ओर से स्वयं को मूर्ति मंदिर का संरक्षक नियुक्त किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट संख्या 1 स्वयं को अपीलांट संख्या 2 का पड़पौत्र बताकर तथा मूर्ति मंदिर में आस्था होना बताकर संरक्षक बनना चाहता है, अपीलांट के केवल इस कथन मात्र से अपीलांट संख्या 1 को मूर्ति मंदिर का संरक्षक बनाये जाने का अनुतोष प्रदान किया जाना विधि सम्मत व न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। वर्तमान स्तर पर यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि अपीलांट संख्या 1 संरक्षक की भूमिका में है अथवा नहीं। जहां तक अधिवक्ता अपीलांट संख्या 1 का न्यायालय द्वारा किसी अन्य को संरक्षक बनाने का तर्क है तो हमारे मत में हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 25/12/18 के विरुद्ध दो अपीलें (अपील संख्या 172/2019 उनवान हरमिन्दर सिंह बनाम रमेशचन्द तथा अपील संख्या 115/2019 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा बनाम रमेशचन्द) न्यायालय हाजा में लम्बित है। अपील संख्या 115/2019 स्वयं राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रश्नगत निर्णय व डिक्री के विरुद्ध पेश की गई है। ऐसी स्थिति में हमारे मत में अधिवक्ता अपीलांट संख्या 1 का उन्हें या किसी अन्य को संरक्षक नियुक्त करने का तर्क	

[illegible signature]

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

फर्द अहकाम

....बनाम..

किस्म मुकदमा:- मिसल न0 / सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	अहकाम जो किस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि प्रकरण में स्वयं राज्य सरकार जरिये तहसीलदार अपील पहले से पेश हो रखी है। अतः प्रार्थी अपीलांट संख्या 1 अनिल वैष्णव की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत नियुक्त किये जाने संरक्षक मूर्ति मंदिर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। अपीलांट संख्या 2 मुख्तार आम नियुक्तकर्ता एक 90 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है तथा स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर अपील विड्रा करने की प्रार्थना की है। मूल अपीलांट (अपीलांट संख्या 2) की इच्छा के विरुद्ध हस्तगत अपील जारी रखना उचित नहीं है। अतः प्रार्थी अपीलांट संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अपील एज विड्रा किये जाने का स्वीकार करते हुए हस्तगत अपील एज विड्रा खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 09/10/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा	